



मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, बेंगलुरु-1, बेंगलुरु
Office of the Chief Commissioner of Income tax, Bengaluru-1, Bengaluru
केन्द्रीय राजस्व भवन, क्वींस रोड, बेंगलुरु - 560 001
C.R. Buildings, Queen's Road, Bengaluru - 560 001.
Tele:22864478 FAX:22868915

F.No.17(2)/CCIT/BNG-1/2021-22 / 1023

Dated: 23/11/2021

**PROCEEDINGS OF THE CHIEF COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
BENGALURU-1, BENGALURU.**

Y RAJENDRA, IRS
Chief Commissioner of Income-tax,
Bengaluru-1, Bengaluru.

Sub: Approval of Hospital u/s 17(2) of the Income-tax Act, 1961 in
the case of **M/s Kauvery Hospital, Ramakrishna Hospital
Complex, 92/1 A&B, Konappana Agrahara, Electronic City,
Bengaluru South - 560 100 - Regarding**

Ref: Assessee's application application dated 25.11.2020 filed in
Pr.CIT, Bengaluru-2 Bengaluru on 07.12.2020

ORDER UNDER SECTION 17(2) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961

**M/s Kauvery Hospital, Ramakrishna Hospital Complex, 92/1 A&B,
Konappana Agrahara, Electronic City, Bengaluru South - 560 100**, has filed an
application dated 25.11.2020 seeking approval u/s 17(2) of the Income-tax Act,
1961.

2. The Dy. Commissioner of Income-tax, Circle 2(2)(1), Bengaluru has
conducted necessary enquiries & inspections and forwarded the report. The report
and the enclosures were considered.

2.1 The assessee, **M/s. Kauvery Hospital** is running a hospital and it is seen
from the details placed before me that the said hospital satisfies the conditions as
specified in Section 17(2) of the Income-tax Act, 1961.

2.2 In exercise of the powers conferred under sub clause (b) of clause (ii) of the
proviso to sub section (2) of Section 17 of the Income tax Act, 1961 read with Rule
3A of the Income-tax Rules, 1962 and having regard to prescribed therein,
I, the Chief Commissioner of Income-tax, Bengaluru-1, Bengaluru hereby approve
for the purpose of said sub-clause (b) of clause (ii) of the proviso to sub-section (2)
of section 17 of the Income-tax Act, 1961.

2.3. Accordingly, any sum paid by an employer in respect of any expenditure
actually incurred by an employee on his medical treatment or of any member of his





मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, बेंगलुरु-1, बेंगलुरु
Office of the Chief Commissioner of Income tax, Bengaluru-1, Bengaluru
केन्द्रीय राजस्व भवन, क्वींस रोड, बेंगलुरु - 560 001
C.R. Buildings, Queen's Road, Bengaluru - 560 001.
Tele: 22864478 FAX:080-22868915

फा.सं/17(2)/CCIT/BNG-1/2021-22

दिनांक: 23.11.2021

मुख्य आयकर आयुक्त बेंगलुरु-1, बेंगलुरु की कार्यवाही

श्री वाई. राजेन्द्रा, भा.रा.से.

मुख्य आयकर आयुक्त,

बेंगलुरु-1, बेंगलुरु

* * * * *

विषय:- मेसर्स कावेरी अस्पताल, रामकृष्णा अस्पताल कॉम्प्लेक्स,92/1 ए एण्ड बी, कोनप्पना अग्रहारा, ईलोकट्टॉनिक सिटी, बेंगलुरु दक्षिण-560100 के मामले में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अस्पताल का अनुमोदन- के संबंध में।

संदर्भ :- दिनांक 07.12.2020 को प्र.आ.आ., बेंगलुरु-2, बेंगलुरु कार्यालय में फाइल किया गया निर्धारिती का दिनांक 25-11-2020 का आवेदन

* * * * *

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन आदेश

मेसर्स कावेरी अस्पताल, रामकृष्णा अस्पताल परिसर, 92/1 ए एण्ड बी, कोनप्पना अग्रहारा, ईलोकट्टॉनिक सिटी, बेंगलुरु, दक्षिण-560100, ने दिनांक 25.11.2021 को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुमोदन के लिए एक आवेदन दायर किया है।

2 आयकर उप आयुक्त सर्कल 2(2)(1), बेंगलुरु ने आवश्यक पूछताछ और निरीक्षण के बाद रिपोर्ट अग्रहित की है। रिपोर्ट और संलग्नकों पर विचार किया गया है।

2.1. निर्धारिती, मेसर्स कावेरी अस्पताल चला रहे हैं और मेरे समक्ष प्रस्तुत विवरण से ज्ञात होता है कि अस्पताल आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) में निर्धारित शर्तों को पूरा करता है।

2.2. आयकर नियमावली, 1962 के नियम 3ए के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 की उप धारा (2) के परंतुक खण्ड (iii) के उप खण्ड (बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

family at **M/s Kauvery Hospital, Ramakrishna Hospital Complex, 92/1 A&B, Konappana Agrahara, Electronic City, Bengaluru South - 560 100**, in respect of the diseases or ailments prescribed under Rule 3A(2) of the Income tax Rules, 1962, shall not be treated as a perquisite for the purposes of sections 15, 16 and 17 of the Income-tax Act, 1961 and such sum shall be exempt from Income-tax in the hands of the employee.

Sub-rule No.	Diseases or ailments prescribed under Rule 3A(2)
(b)	Tuberculosis
(c)	Acquired Immunity Deficiency Syndrome.
(d)	Disease or ailment of the heart, blood, lymph glands, bone marrow, respiratory system, central nervous system, urinary system, liver, gall bladder, digestive system, endocrine glands or the skin, requiring surgical operation.
(e)	Ailment or disease of the eye, ear, nose or throat, requiring surgical Operation
(f)	Fracture in any part of the skeletal system or dislocation of vertebrae requiring surgical operation or orthopaedic treatment
(g)	Gynaecological or Obstetric ailment or disease requiring surgical operation, caesarean operation or laparoscopic intervention
(h)	Ailment or disease of the organs mentioned at, requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days
(i)	Gynaecological or Obstetric ailment or disease requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days.
(j)	Anaphylectic shocks including insulin shocks, drug reactions and other allergic manifestations requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days.

The employer **will not be liable to deduct tax under section 192** of the Income-tax Act, 1961 in respect of such sum.

3. The Hospital shall issue a certificate to the employee who avails the medical facility specifying the disease or ailment for which medical treatment was given and the amount of expenditure incurred in payment to the Hospital and for medicines along with the relevant bills.

4. The approval is only for the purpose of sub clause (b) of clause (ii) of the proviso to sub section (2) of sec. 17 of the Income-tax Act, 1961 and shall not be construed as approval of the Central Government or the Chief Commissioner of Income-tax, Bengaluru-1, or any other statutory authority under the Government for any other purpose.

6. The approval is effective from the date of this order and shall remain in force until and unless withdrawn/cancelled. This approval is subject to Hospital's continued compliance with the statutory conditions prescribed under Rule 3A of the Income-tax Rules, 1962, necessary for such approval and such modifications as may be necessitated by an amendment to the provisions governing the approval under the Income-tax Act, 1961.

तथा निर्दिष्ट दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, मैं मुख्य आयकर आयुक्त, बंगलूरु-1, मेसर्स कावेरी अस्पताल, रामकृष्ण अस्पताल परिसर, 92/1 ए&बी, कोनप्पना अग्रहारा, ईलोकट्टॉनिक सिटी, बंगलूरु, दक्षिण-560100 को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 की उप धारा (2) के परंतुक के खण्ड (ii) के उप खण्ड (बी) के उक्त उद्देश्य के लिए स्वीकृति प्रदान करता हूँ।

2.3. तदनुसार, कर्मचारी या उनके परिवार का कोई भी सदस्य में किसी बीमारी या रोग, जो आयकर नियमावली 1962 के नियम 3ए(2) में निर्दिष्ट है की मेसर्स कावेरी अस्पताल, रामकृष्ण अस्पताल परिसर, 92/1 ए&बी, कोनप्पना अग्रहारा, ईलोकट्टॉनिक सिटी, बंगलूरु, दक्षिण-560100 में उपचार कराते हैं और खर्च की गई राशि नियोजक द्वारा वहन की जाती है तो इसे आयकर अधिनियम 1961 की धारा 15, 16 व 17 के उद्देश्य के लिए परिलब्धि नहीं माना जायेगा तथा इस राशि पर कर्मचारी को आयकर से छूट प्राप्त होगी।

उपनियम सं.	नियम 3A (2) के अधीन निर्धारित बीमारी अथवा रोग
(ए)	क्षय रोग
(बी)	एड्स (एकवायर्ड इम्यूनोटी डिफिशन्सी सिन्ड्रोम)
(सी)	हृदय, रक्त, लसिका ग्रंथि, मज्जा, स्वसन प्रणाली, केंद्रीय स्नायु तंत्र, मूत्र प्रणाली, यकृत, पित्ताशय, पाचन तंत्र, अंतः श्रावी ग्रंथियों या त्वचा आदि से संबंधित रोग या बीमारी, जहाँ शल्य चिकित्सा की आवश्यकता हो।
(डी)	आँख, कान, नाक, या गले की बीमारी व रोग जिनमें शल्य चिकित्सा आवश्यक हो।
(ई)	कंकाल तंत्र के किसी भी भाग में अस्थि भंग या कशेरुक की अव्यवस्था जिसमें शल्य चिकित्सा या हड्डी संबंधी उपचार की आवश्यकता हो।
(एफ)	स्त्री रोग संबंधी या प्रसूति रोग या बीमारी जहाँ शल्य चिकित्सा, सिजेरियन आपरेशन, लैप्रोस्कोपिक इंटर्वेशन की आवश्यकता हो।
(जी)	वर्णित अंगों की बीमारी या रोग, जिसके उपचार के लिए लगातार तीन दिनों तक अस्पताल में रहना आवश्यक हो।
(एच)	स्त्री रोग संबंधी या प्रसूति रोग या बीमारी जिसके उपचार के लिए लगातार तीन दिनों तक अस्पताल में रहना आवश्यक हो।
(आई)	एनाफिलेक्टिक शॉक जिसमें इंसुलीन शॉक भी शामिल है, दवाओं का रियाक्शन, एलर्जी के रोग जिनके उपचार के लिए लगातार तीन दिनों तक अस्पताल में रहना आवश्यक हो।

नियोक्ता आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192 के अधीन ऐसी राशि पर कर वसूल करने के लिए बाध्य नहीं होंगे।

7. The order of the approval is subject to the following terms and conditions:-
- This approval is not transferable,
 - The hospital shall be open for inspection by such officers of the Income-tax Department as are duly authorised in this behalf at all reasonable times,
 - The hospital shall conform to such conditions as are prescribed under sub clause (b) of clause (ii) of the proviso to sub clause (viii) of sub section (2) to section 17 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 3A of the Income-tax Rules, 1962. In the event that the hospital ceases to satisfy any of the Conditions prescribed under the Act, it will be mandatory on the part of the hospital, to intimate such fact immediately, to the approving authority.

Sd/-

(ये राजेन्द्रा/(Y RAJENDRA, IRS)


मुख्य आयकर आयुक्त/Chief Commissioner of Income-tax,
बेंगलूरु - 1, बेंगलूरु Bengaluru-1, Bengaluru

To

**M/s Kauvery Hospital, Ramakrishna Hospital Complex,
92/1 A&B, Konappana Agrahara,
Electronic City, Bengaluru South - 560 100**

Copy for information to:

- The Joint Secretary, CBDT, New Delhi,
- The Pr.Chief Commissioner of Income tax, Karnataka & Goa Region, Bengaluru,
- The Director General of Income tax (Inv.), Karnataka & Goa Region, Bengaluru
- The Chief Commissioner of Income tax, TDS, International Taxation-South Zone, Bengaluru
- All the Pr. Chief Commissioners of Income tax in India,
- All the Chief Commissioners of Income tax in India
- The Pr.Commissioner of Income tax, Central/Intl.Taxation /DTRTI / Audit/CO/ITAT/Judicial/Admn. & CO/Exemption/Transfer Pricing/ I & CI/ CPC, Bengaluru.
- The Pr.Commissioner of Income tax, Bangalore-1/2/3, Hubballi, Panaji
- The Director of Income tax (Inv.), Bengaluru.



(डा. अभिषेक रतकल/Dr. ABHISHEK RATKAL)

आयकर उप आयुक्त (मुख्या.)
Deputy Commissioner of Income-tax(HQ),
कृते मुख्य आयकर आयुक्त-1, बेंगलूरु.
for Chief Commissioner of Income-tax
Bengaluru-1, Bengaluru

3. अस्पताल, उपचार प्राप्त करने वाले कर्मचारी को संलग्न प्रोफार्मा में प्रमाण-पत्र जारी करेगा, जिस रोग एवं बीमारी, के लिए चिकित्सा उपचार प्राप्त किया गया हो एवं संगत बिलों के साथ अस्पताल को किये गये भुगतान एवं दवाइयों के लिए वहन किये गये खर्च की रकम का उल्लेख हो।
4. यह अनुमोदन केवल आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 की उप धारा (2) के परंतुक खण्ड (ii) के उप खण्ड (बी) के उद्देश्य के लिए है एवं इसको किसी अन्य उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार या मुख्य आयकर आयुक्त, बेंगलूर-1 या सरकार के अधीन किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण के अनुमोदन के रूप में नहीं माना जाएगा।
5. यह अनुमोदन, आदेश के दिनांक से प्रभावी है एवं इसे वापस लेने या रद्द करने तक लागू रहेगा। यह अनुमोदन अस्पताल द्वारा आयकर नियमावली, 1962 के नियम 3(ए) में निर्दिष्ट सांविधिक शर्तों के साथ सतत अनुपालन पर निर्भर है और ऐसे परिवर्तन जो आवश्यकतानुसार आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन अनुमोदन को नियंत्रित करनेवाले प्रावधानों में किसी संशोधन की अपेक्षा रखता है।
6. इस अनुमोदन का आदेश निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अधीन है:-
- (क) यह अनुमोदन अन्तरणीय नहीं है।
- (ख) विधिवत् प्राधिकृत किये गये आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए अस्पताल सभी उचित समयों पर खुला रहेगा।
- (ग) आयकर नियमावली, 1962 के नियम 3(ए) के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 की उप धारा (2) के परंतुक खण्ड (ii) के उप खण्ड (बी) के अधीन अस्पताल को निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। अस्पताल यदि कानून द्वारा निर्धारित किन्हीं शर्तों का उल्लंघन करता है तो अस्पताल की ओर से यह अनिवार्य होगा कि ऐसे तथ्य को अनुमोदन जारी करने वाले प्राधिकारी के पास तुरंत सूचित करें।

हस्ता./

(वाई. राजेन्द्रा, भा.रा.से.)

मुख्य आयकर आयुक्त,
बेंगलूरु-1, बेंगलूरु,

सेवा में,

मेसर्स कावेरी अस्पताल, रामकृष्ण अस्पताल परिसर,
92/1 ए & बी, कोनप्पना अग्रहारा,
ईलोकट्रॉनिक सिटी, बेंगलूरु, दक्षिण-560100

सूचनार्थ प्रति:

1. संयुक्त सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली,
2. प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, कर्नाटक एवं गोवा क्षेत्र, बेंगलूरु,
3. आयकर महानिदेशक (अन्वै.), कर्नाटक एवं गोवा क्षेत्र, बेंगलूरु,

4. मुख्य आयकर आयुक्त/टीडीएस/अंतरराष्ट्रीय कराधान-दक्षिण क्षेत्र, बेंगलूर,
5. भारत के सभी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त,
6. भारत के सभी मुख्य आयकर आयुक्त,
7. प्रधान आयकर आयुक्त, केन्द्रीय/अंतरराष्ट्रीय कराधान/ डीटीआरटीआई/ ऑडिट/ कं.प्र./ आइटीएटी/ न्यायिक/ प्रशा. एवं कं.प्र./ छूट/अंत.मूल्यन/आसूचना एवं आ.अ./सीपीसी, बेंगलूर।
8. प्रधान आयकर आयुक्त-1/2/3, बेंगलूर/हुब्लली/पणजी।
9. आयकर निदेशक (अन्वे.), बेंगलूर।

अभिषेक रतकल

(डा.अभिषेक रतकल)

आयकर उप आयुक्त(मुख्या.),
कृते मुख्य आयकर आयुक्त-1,
बेंगलूर

